



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 49]

नई दिल्ली, दिसम्बर 2—दिसम्बर 8, 2018, शनिवार/ अग्रहायण 11—अग्रहायण 17, 1940

No. 49]

NEW DELHI, DECEMBER 2—DECEMBER 8, 2018, SATURDAY/AGRAHAYANA 11—AGRAHAYANA 17, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2018

सा. का. नि. 376—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज, नागपुर (लीडिंग फायरमैन, चालक ऑपरेटर और फायरमैन) भर्ती नियम, 1977 को जहां तक उनका संबंध चालक ऑपरेटर और फायरमैन, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज, अग्नि और बचाव ऑपरेटर (समूह ग पद) भर्ती नियम, 2017 से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, अग्नि और बचाव ऑपरेटर राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज, नागपुर के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** --(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज, नागपुर अग्नि और बचाव ऑपरेटर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2018 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**:- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि**- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति-

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्याप्ति.**- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अग्निशमन और बचाव प्रचालक	13* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीया।	स्तर-2 (19900-63200 रु.)	चयन	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की गयी अंतिम तारीख होगी। टिप्पण 2: कर्मचारी चयन आयोग की दशा में भर्ती नहीं होने की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख होगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक:- (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या समतुल्य से 12वीं कक्षा (ii) 12वीं कक्षा या समतुल्य किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या समतुल्य से 10वीं कक्षा या समतुल्य और मान्यताप्राप्त प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान से किसी व्यवसाय में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम; या (iii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या समतुल्य से 10वीं कक्षा या समतुल्य और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के संस्थान से आधुनिक अग्निशमन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम। (iv) भारी वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लायसेंस धारक हो।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष (पदधारी चाहे सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा नियुक्त हो और चाहे स्थायीवत या अस्थायी हो उसने परिवीक्षा की अवधि समाप्त होने के बाद पम्प ऑपरटर और बचाव कार्य और सीडी में फायरमैनशिप की	70 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा और 30 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

<p>(v) शारीरिक मानक: ऊंचाई-165 सेमी. से अन्यून (पहाड़ी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 5 सेमी. शिथिलनीय) सीना-81 सेमी. सामान्य, न्यूनतम फुलाव 5 सेमी., भार 50 किग्रा से अन्यून, श्रवणशक्ति-सामान्य, वाणी-सामान्य।</p> <p>निरर्हता: शारीरिक विकृति, लंबी बीमारी, रंग अंधता, भेंगापन, सपाट पैर, जुड़ी टांगें और परादर्शक त्रुटि को निरर्हता के रूप में माना जाएगा।</p> <p>क्षमता परीक्षा-</p> <p>(i) एक मिनट में 60 किग्रा वजन के साथ 90 मीटर दूरी भागने में सक्षम हो।</p> <p>(ii) हाथ और पैरों का प्रयोग करते हुए भूमि से 2.5 से 3 मीटर ऊंचाई तक रस्सी पर चढ़ने में सक्षम हो।</p> <p>चालन परीक्षण: भारी वाहन चलाने के लिए परीक्षा बोर्ड द्वारा संचालित चालन परीक्षण:</p> <p>वांछनीय:</p> <p>अभ्यर्थी निम्नलिखित अर्हताओं में से किसी एक को रखता हो तो उसे अधिमान्यता दी जाएगी:-</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से प्राथमिक चिकित्सा प्रतिवादी या शहरी खोज और बचाव पाठ्यक्रम; या</p> <p>(ii) पूर्णकालिक अग्निशमन सेवा संगठन या राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर में अग्निशमन या अध्यापन या प्रशिक्षण में अनुभव।</p> <p>टिप्पण: अर्हताएं अन्यथा अर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिल की जा सकती हैं।</p>		<p>व्यावहारिक विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की हो।</p>	
---	--	---	--

<p>प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना</p>	<p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा</p>
<p>(11)</p>	<p>(12)</p>	<p>(13)</p>
<p>प्रोन्नति:- वेतन मेट्रिक्स में स्तर 1 (18000-56900) में राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज, नागपुर से क्लास रूप अटेंडेंट या मल्टी-टॉस्किंग स्टाफ के रूप में तीन वर्ष की नियमित सेवा किया हो और स्तंभ (7) के अनुसार शारीरिक मानक हो।</p> <p>टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. महानिदेशक, अग्निशमन सेवा, सिविल डिफेंस और होमगार्ड -अध्यक्ष 2. अग्निशमन सलाहकार या उप महानिदेशक (होमगार्ड) -सदस्य और 3. निदेशक, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय नागपुर -सदस्य 	<p>लागू नहीं होता।</p>

अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।		
--	--	--

[फा. सं. I-12014/03/2017]

सुरेन्द्र ठाकुर, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 15th November, 2018

G.S.R. 376.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the National Fire Service College, Nagpur (Leading Fireman, Driver Operator and Fireman) Recruitment Rules, 1977 in so far as they relate to the post of Driver Operator and Fireman and the Ministry of Home Affairs, National Fire Service College, Fire and Rescue Operator (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Fire and Rescue Operator in the National Fire Service College, Nagpur, namely:—

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, National Fire Service College, Nagpur, Fire and Rescue Operator (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**— The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**— No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reason to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection or non selection post	Age- limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Fire and Rescue Operator	13* (2018). *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-2 (₹ 19900-63200)	Selection	Between 18 and 27 years. (relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note 1. - The crucial date for determining the age-limit shall

					be as fixed by the Staff Selection Commission. Note 2 .- Where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age-limit shall be the last date for receipt of applications.
--	--	--	--	--	--

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
<p>Essential.-</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) 12th Class or equivalent from recognised Board or equivalent ; or (ii) 10th Class or equivalent from recognised Board or equivalent and certificate course in any trade from a recognised Industrial Training Institute ; or (iii) 10th Class or equivalent from recognised Board or equivalent and basic fire fighting training course from Central Government or State Government institutes. (iv) Possessing valid heavy vehicle driving license. (v) Physical standard:-Height: Not less than 165 cm (relaxable by 5cm. for hill area candidates), Chest: 81 cm normal, minimum expansion 5 cm. Weight: Not less than 50 kg, Hearing: Normal, Speech: Normal. <p>Disqualification.- physical deformity, chronic diseases, colour blindness, squint eyes, flat foot, bow legs and refractive error will be considered as disqualification.</p> <p>Endurance Test.-</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) should be able to run a distance of 90 meters with a load of 60 kg in one minute. (ii) should be capable of climbing a rope to a height of 2.5 to 3 meters from the ground by using hands and feet. <p>Driving Test.- Driving test conducted by the examination board to drive heavy vehicle.</p> <p>Desirable.-</p> <p>Candidate possessing any one of following qualifications shall be given preference, namely:-</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Medical First Aid Responder or Urban Search and Rescue Course from a recognised Institute; or (ii) Experience in fire-fighting or teaching or training in a full time fire service organisation or National Fire Service College, Nagpur. 	No	Two years for direct recruits. (The incumbent whether appointed by direct recruitment or by promotion and whether permanent or quasi-permanent or temporary shall have to pass a Departmental test before the expiry of probation period in pump operation and practical fireman ship in ladder and rescue work).

Note.- The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.		
---	--	--

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(10)	(11)
70% by Promotion and 30% by direct recruitment.	<p>Promotion:- Class Room Attendant or Multi-tasking staff of the National Fire Service College, Nagpur with three years' regular service in level 1 in the pay matrix (₹ 18000-56900/-) and Physical Standard as per Column (7).</p> <p>Note.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already complete such qualifying or eligibility service.</p>

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstance in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion or Confirmation) consisting of :-</p> <p>(1) Director General Fire Service, Civil Defence and Home Guard – Chairperson</p> <p>(2) Fire Adviser / Deputy Director General (Home Guard) - Member; and</p> <p>(3) Director, National Fire Service college, Nagpur - Member.</p>	Not applicable.

[F. No. I-12014/03/2017]

SURENDRA THAKUR, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 नवम्बर , 2018

सा. का. नि. 377.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज, नागपुर समूह 'ग' (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2014 को] जहां तक उनका संबंध आशुलिपिक श्रेणी 'घ' पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकरण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज, नागपुर में आशुलिपिक श्रेणी-'II' के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज, नागपुर आशुलिपिक श्रेणी-II (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2018 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.— भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.— वह व्यक्ति.—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
आशुलिपिक श्रेणी-11	1* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर-4 (25500-81100 रु.)	अचयन	18 और 27 वर्ष की आयु के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए आयु-सीमा 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विहित की जाए।	आवश्यक अर्हताएं: 1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो। 2. कौशल परीक्षा मानक: (i) श्रुतलेखन: आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट। (ii) हस्तचालित टाइपराइटर पर 65 मिनट (अंग्रेजी), 75 मिनट (हिन्दी) या कम्प्यूटर पर 50 मिनट (अंग्रेजी) 55 मिनट (हिन्दी)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती। टिप्पण 1: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा

		<p>सकेंगी, जो:-</p> <p>(क) मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; और</p> <p>(ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती होने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों।</p> <p>टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3- प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
--	--	---

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)
लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' स्थायी किए जाने के लिए विभागीय समिति (स्थायी किए जाने पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	लागू नहीं होता।
<ol style="list-style-type: none"> 1. महानिदेशक, अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड - अध्यक्ष 2. अग्नि सलाहकार, महानिदेशक अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड कार्यालय - सदस्य 3. निदेशक, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज, नागपुर - सदस्य 	

[फा. सं. I-12014/01/2018-सीडी]

सुरेन्द्र ठाकुर, अवर सचिव

New Delhi, the 29th November, 2018

G.S.R. 377.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the National Fire Service College, Nagpur, Group 'C' (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2014, in so far as they relate to the post of Stenographer Grade 'D', except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Grade 'II' in the National Fire Service College, Nagpur, namely:—

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the National Fire Service College, Nagpur, Stenographer Grade-II (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**— The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedules annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc.**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**— No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living; or
 (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
 shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, and for reason to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving .—** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non selection post	Age- limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Stenographer Grade-II.	1* (2018) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non - Gazetted, Non-Ministerial.	Level- 4 in the pay matrix ₹25500-81100.	Non-selection	Between 18 and 27 years of age (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note.1. The crucial date for determining the age limit shall be as specified by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, If any
(7)	(8)	(9)
Essential Qualifications:- 1. 12 th Class pass from a recognised Board or University. 2. Skill Test Norms : (i) Dictation: 10 Minutes @ 80 w.p.m. in shorthand. (ii) Transcription: 65 Minutes (English), 75 Minutes (Hindi) on Manual Typewriter. OR 50 Minutes (English), 55 Minutes (Hindi) on Computer.	Not applicable	Two years

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption, and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(10)	(11)
Direct recruitment through Staff Selection Commission. Note 1.- Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled	Not applicable

<p>by deputation basis from officers of Central Government :-</p> <p>(a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department and</p> <p>(b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7).</p> <p>Note 2.- The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 3.- The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.</p>	
---	--

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstance in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- (1) Director General Fire Service, Civil Defence and Home Guard –Chairperson; (2) Fire Adviser, Office of Director General Fire Service, Civil Defence and Home Guard - Member; (3) Director, National Fire Service college, Nagpur - Member.	Not applicable.

[F. No. I-12014/01/2018-CD]

SURENDRA THAKUR, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2018

सा.का.नि. 378.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज, नागपुर (लीडिंग फायर मैन ड्राइवर ऑपरेटर और फायर मैन) भर्ती नियम, 1977 को, जहां तक उनका संबंध लीडिंग फायर मैन पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकरण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज, नागपुर में लीडिंग फायर मैन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज, नागपुर लीडिंग फायरमैन (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.**— भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
लीडिंग फायरमैन	2 (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर-3 (21700-69100 रु.)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रोन्नति:- राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज, नागपुर के अग्निशमन और बचाव ऑपरेटर जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (19900-63200 रु.) के स्तर-2 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात तीन वर्ष की नियमित सेवा की है।
टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।
प्रतिनियुक्ति: (जिसके अंतर्गत अल्पकालीन संविदा भी है):
केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वशासी निकाय या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या नगर निगम में पूर्वकालिक परिचलन अग्निशमन सेवा के:-
(क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं; या
(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (19900-63200 रु.) के स्तर 2 में फायरमैन या फायर और रेस्क्यू ऑपरेटर के रूप में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो।
(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो:-

(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो
(ii) शारीरिक स्तर- कद -165 सेंटीमीटर से कम न हो (पहाड़ी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 5 सेंटीमीटर शिथिल की जा सकती है)। सीना: 81 सेंटीमीटर सामान्य, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर के फुलाव सहित। वजन: 50 किलो से कम न हो। श्रवण शक्ति: सामान्य। भाषा: सामान्य और कमान के अंग्रेजी और हिंदी शब्दों को समझने में समर्थ होना चाहिए।
टिप्पण 1:- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।
टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (स्थायी किए जाने/प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	लागू नहीं होता
1. महानिदेशक, अग्निशमन सेवा, सिविल डिफेंस और होमगार्ड - अध्यक्ष	
2. अग्निशमन सलाहकार उप महानिदेशक (होमगार्ड) - सदस्य; और	
3. निदेशक, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज नागपुर - सदस्या	

[फा. सं. I-12014/02/2018]

सुरेन्द्र ठाकुर, अवर सचिव

New Delhi, the 29th November, 2018

G.S.R. 378.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the National Fire Service College, Nagpur (Leading Fireman, Driver Operator and Fireman) Recruitment Rules, 1977, in so far as it relate to the post of Leading Fireman except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Leading Fireman in the National Fire Service College, Nagpur, namely:-

- Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the National Fire Service College, Nagpur, Leading Fireman (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2018.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
- Number of post, classification and level in the pay matrix.**— The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc.**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification.**— No person,-
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, and for reason to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification.	Level in the pay matrix	Whether selection or non selection post	Age- limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Leading Fireman.	2* (2018). *Subject to variation dependent on work load.	General Central Civil Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-3 (Rs.21700-69100).	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(10)	(11)
By promotion failing which by deputation (including short-term-contract).	<p>Promotion: Fire and Rescue Operator of the National Fire Service College, Nagpur with three years' regular service in level 2 in the pay matrix (Rs.19900-63200/-) rendered after appointment thereto on regular basis.</p> <p>Note.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already complete such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation(including short-term-contract): From full time operational Fire Services in the Central Government or State Government or Union territories administration or autonomous bodies or statutory organisation or public sector undertakings or Municipal Corporations:</p> <p>(a) (i)holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>(ii) three years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis as a Fireman or Fire and Rescue Operator in</p>

	<p>level-2, in the pay matrix (Rs.19900-63200).</p> <p>((b) Possessing the following educational qualifications and experience :</p> <p>(i) 12th Class examination pass from recognised Board or University.</p> <p>(ii) Physical standard:-Height: Not less than 165 cm (relaxable by 5cm. for hill area candidates), Chest: 81 cm normal, minimum expansion 5 cm. Weight: Not less than 50 kg, Hearing: Normal, Speech: Normal and should be capable of follow English and Hindi words of command.</p> <p>Note 1. The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note2. The Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note3. The Maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.</p>
--	---

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstance in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee(for considering Promotion or Confirmation) consisting of :</p> <p>1. Director General Fire Service, Civil Defence and Home Guard – Chairperson;</p> <p>2. Fire Adviser / Deputy Director General (Home Guard) - Member; and</p> <p>3. Director, National Fire Service college, Nagpur - Member.</p>	Not applicable.

[F. No. I-12014/02/2018]

SURENDRA THAKUR, Under Secy.

(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2018

सा.का.नि. 379.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय, उप अग्निशमन सलाहकार भर्ती नियम, 2016, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय में अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड, महानिदेशालय में उप अग्निशमन सलाहकार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, अग्निशमन सेवा, सिविल रक्षा और होमगार्ड महानिदेशालय, उप अग्निशमन सलाहकार भर्ती नियम, 2018 है

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर: .—** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति-

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उप अग्निशमन सलाहकार	01* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' अननुसचिवीय,	स्तर-11 (67700- 208700 रु.)	लागू नहीं होता	40 वर्ष से अधिक नहीं टिप्पण 1: (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 2: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप	आवश्यक: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अग्निशमन इंजीनियरी बैचलर डिग्री (ii) अग्निशमन विभाग के किसी संगठन में अग्निशमन निवारण या अग्निशमन संरक्षण या आगे बुझाने या अग्निशमन प्रशिक्षण में चार वर्ष का अनुभव टिप्पण 1- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के

					के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाए, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।
--	--	--	--	--	--	--

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण:- पदधारी की प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुटी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरी जा सकेगी:- (क) (i) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग के वेतन मेट्रिक्स (56100-177500 रु.) में स्तर 10 के पद पर नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो, (ख) जो स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित की गई शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो;

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड्स जिनसे से प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)
लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय पुष्टि/ समिति (स्थाई किए जाने पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. महानिदेशक, (अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड) -अध्यक्ष; 2. संयुक्त सचिव (आपदा प्रबंधन), गृह मंत्रालय - सदस्य 3. महानिरीक्षक (राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और नागरिक सुरक्षा) -सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. I-12012/1/2018-एडी (सीडी)]

सुरेन्द्र ठाकुर, अवर सचिव

(Disaster Management Division)

New Delhi, the 29th November, 2018

G.S.R. 379.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Home Affairs, Deputy Fire Advisor Recruitment Rules, 2016 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Fire Advisor in the Directorate General of Fire Services, Civil Defence and Home Guards in the Ministry of Home Affairs, namely: -

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Directorate General of Fire Services, Civil Defence and Home Guards, Deputy Fire Advisor Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.**—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of Recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualifications.**—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Class, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Deputy Fire Advisor	01* (2018) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level 11 (Rs.67700-208700).	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Not exceeding 40 years Note 1: (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul & Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential: (i) Bachelor Degree in Fire Engineering from a recognised University or Institute. (ii) Four years` experience in Fire prevention or Fire protection or Fire fighting or Fire training in the Fire Department of any organisation. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC, for reasons to be recording in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification (s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the UPSC, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to scheduled castes or scheduled tribes if at any stage of selection, the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable	One year for direct recruits

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(10)	(11)
By direct recruitment Note: "Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of	Not applicable

<p>Central Government.</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in post in level 10 of pay matrix (Rs. 56100-177500) or equivalent, in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) Possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7).</p>	
<p>If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition</p>	<p>Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment</p>
(12)	(13)
<p>Group A Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Director General (Fire Service, Civil Defence and Home Guards) - Chairman; 2. Joint Secretary (Disaster Management) Ministry of Home Affairs - Member; 3. Inspector General, (National Disaster Response Force and Civil Defence) - Member. 	<p>Consultation with Union Public Service Commission is necessary.</p>

[F. No. I-12012/1/2018-Ad(CD)]

SURENDRA THAKUR, Under Secy.

(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2018

सा.का.नि. 380.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय (समूह 'क' और 'ख' पद) भर्ती नियम, 2006 को, जहां तक उनका संबंध संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक और वरिष्ठ अनुवादक के पदों से है, उन बातों के सिवाए अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के अधीन केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक और वरिष्ठ अनुवादक के पदों पर भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय समूह 'क' और समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2018 है।
(ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **लागू होना.**— ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा- जो उक्त नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.**— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 13 में विनिर्दिष्ट हैं।
5. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति .— जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति .— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.संयुक्त निदेशक	2*(दो)(2018) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	(स्तर-12 78800- 2,09,200 रु).	चयन पद	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	50% प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा 50% प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियों, जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-2,08,700 रु.) में ऐसे उप निदेशक जिन्होंने उस पद पर नियमित आधार पर नियुक्त होने के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो और विभाग द्वारा यथा विहित 2 से 4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो।	प्रोन्नति पर विचार करने के लिए समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :- (i) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग- अध्यक्ष (ii) संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग - सदस्य	अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

टिप्पणः जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या तीन वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति:

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी:

(क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित किए हुए हैं;

अथवा

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11, (67700-208700 रुपए) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं : अर्थात:-

आवश्यक:-

(I) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिर्वाय या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी में मास्टर की उपाधि,

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिर्वाय या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के साथ अंग्रेजी में मास्टर की उपाधि,

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिर्वाय या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी विषय में हिंदी माध्यम के साथ मास्टर की उपाधि,

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिर्वाय या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी विषय में अंग्रेजी माध्यम के साथ मास्टर की उपाधि,

या

(iii) निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो - सदस्य

<p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी और अंग्रेजी या इन दोनों में से कोई एक परीक्षा के माध्यम और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हो, के साथ हिंदी और अंग्रेजी के अलावा किसी विषय में मास्टर की उपाधि ,</p> <p>(ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों या पब्लिक सैक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थाओं के अधीन हिंदी में शब्दावली का प्रयोग/लागू करना(शब्दावलीय कार्य) और अंग्रेजी से हिंदी या इसके विपर्यय, वरीय रूप से तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य के अनुवाद का दस वर्ष का अनुभव ।</p> <p>या</p> <p>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों या पब्लिक सैक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थाओं के अधीन हिंदी और अंग्रेजी में अध्यापन या हिंदी या अंग्रेजी में अनुसंधान (शोध) का दस वर्ष का अनुभव ।</p> <p>वांछनीय :</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिक(दसवीं) स्तर पर हिंदी के अतिरिक्त संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित किसी एक भाषा का अध्ययन किया हो;</p> <p>टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे ।</p> <p>इसी तरह प्रतिनियुक्त व्यक्ति भी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p> <p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)</p>		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.उप निदेशक	2*(दो)(2018) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	(स्तर-11 67,700- 2,08,700 रु).	चयन पद	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10(56,100-1,77,500 रु.) में ऐसे सहायक निदेशक जिन्होंने उस पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति होने के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो और विभाग द्वारा यथा विहित 2 से 4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हों।</p> <p>टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या तीन वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>	<p>(प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <p>(i) संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग - अध्यक्ष (ii) निदेशक, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय - सदस्य (iii) निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो - सदस्य</p>	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3 सहायक निदेशक	39*(उनतालिस) (2018) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	(स्तर-10 56,100- 1,77,500 रु.)	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत हुए व्यक्तियों के लिए एक वर्ष	66.67% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और 33.33% प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7(44900-142400 रु.) में ऐसे वरिष्ठ अनुवादक जिन्होंने उस पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति होने के पश्चात उस श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा की हों और विभाग द्वारा यथा विहित 2 से 4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूर्ण किया हों।</p>	<p>(प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <p>(i) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष (ii) संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग - सदस्य (iii) निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो - सदस्य</p>	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति:

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी :-

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित किए हुए हैं
या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में स्तर-7, (44900-142400 रुपए) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा की हो, और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :

आवश्यक:-

(I) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी में मास्टर की उपाधि,
या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के साथ अंग्रेजी में मास्टर की उपाधि,
या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी या अंग्रेजी के आलावा किसी विषय में हिंदी माध्यम के साथ मास्टर की उपाधि,
या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के साथ हिंदी या अंग्रेजी के आलावा किसी विषय में अंग्रेजी माध्यम के साथ मास्टर की उपाधि,
या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक

(पुष्टि पर विचार करने के लिए) समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:-

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| (i) संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग | - अध्यक्ष |
| (ii) निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो | - सदस्य |
| (iii) निदेशक, राजभाषा विभाग | - सदस्य |

<p>स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी और अंग्रेजी या इन दोनों में से कोई एक परीक्षा के माध्यम और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हो, के साथ हिंदी और अंग्रेजी के अलावा किसी विषय में मास्टर की उपाधि,</p> <p>(ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों या पब्लिक सैक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थाओं के अधीन हिंदी में शब्दावली प्रयोग/लागू करना (शब्दावलीयों कार्य) और अंग्रेजी से हिंदी या इसके विपर्ययण, वरीय रूप से तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य के अनुवाद का तीन वर्ष का अनुभव या</p> <p>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों या पब्लिक सैक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थाओं के अधीन हिंदी और अंग्रेजी में अध्यापन या हिंदी या अंग्रेजी में अनुसंधान(शोध) का तीन वर्ष का अनुभव ।</p> <p>वांछनीय:- किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक(10वीं) स्तर पर हिंदी के अतिरिक्त संविधान के आठवीं अनुसूची में वर्णित किसी एक भाषा का अध्ययन किया हों ।</p> <p>टिप्पण-1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे ।</p> <p>इसी तरह प्रतिनियुक्त व्यक्ति भी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे ।</p> <p>टिप्पण-2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी</p> <p>टिप्पण-3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p>		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. वरिष्ठ अनुवादक	53*(तिरपन) (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचित्रीय	स्तर-7 (44,900-1,42,400 रुपए)	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं । टिप्पण 1: केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष

					<p>तक शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण2: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड हिमाचल प्रदेश के लाहोल स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p>
--	--	--	--	--	--

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>आवश्यक :</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी में मास्टर की उपाधि, या</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के साथ अंग्रेजी में मास्टर की उपाधि, या</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी विषय में हिंदी माध्यम के साथ मास्टर की उपाधि, या</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के साथ हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी विषय में अंग्रेजी माध्यम के साथ मास्टर की उपाधि, अथवा</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक</p>	लागू नहीं होता	2 वर्ष	<p>सीधी भर्ती द्वारा</p> <p>टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण पर दूर चले जाने या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या अधिक की अवधि के लिए कारित रिक्तियों केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा भरी जा सकेगी जिन्होंने:</p> <p>(क) (i) मूल काडर या विभाग में:- नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; और</p> <p>(ख) जो स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती होने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव धारण कर रहे हों।</p>

<p>स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी और अंग्रेजी या इन दोनों में से कोई एक परीक्षा के माध्यम और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हों, के साथ हिंदी और अंग्रेजी के अलावा किसी विषय में मास्टर की उपाधि और, हिंदी से अंग्रेजी या उसके विपर्यय अनुवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम या केंद्रीय या भारत सरकार के उपक्रमों सहित राज्य सरकार के कार्यालय में हिंदी से अंग्रेजी या उसके विपर्यय अनुवाद कार्य का तीन वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1. अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में वहां उसके लिए जो कारण है उनका लेखबद्ध करके कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p>टिप्पणी 2. अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में वहां उसके लिए जो कारण है उनका लेखबद्ध करके तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>			
--	--	--	--

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	<p>(पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <p>(i) निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो - अध्यक्ष</p> <p>(ii) संयुक्त निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो - सदस्य</p> <p>(iii) राजभाषा विभाग के बाहर के किसी भी मंत्रालय/विभाग का अवर सचिव - सदस्य</p>	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 13011/19/2009-ओ एल(सी टी बी)]

राजू लाल मीणा, अवर सचिव

(Department of Official Language)

New Delhi, the 3rd December, 2018

G.S.R. 380.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Central Translation Bureau, (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment Rules, 2006, in so far as they relate to the posts of Joint Director, Deputy Director, Assistant Director and Senior Translator Ministry of Home Affairs except as in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of **Joint Director, Deputy Director, Assistant Director and Senior Translator** in the Central Translation Bureau, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, namely :-

1. **Short title and commencement.**— (i) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Central Translation Bureau Group 'A' and Group 'B' posts, Recruitment Rules, 2018.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and pay level in the pay matrix** – The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications etc .**— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

5. **Disqualification.**—No person,-

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Joint Director.	02(Two) * (2018) *(Subject to variation depending on workload)	General Central Services Group 'A' Gazetted Non-ministerial.	Level-12	Selection	N.A.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	N.A.	N.A.	50 % by promotion failing which by deputation. 50% by deputation.

In case of recruitment by promotion /deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
<p>Promotion: Deputy Director in pay Level -11 in the pay matrix (Rs. 67700-2,08, 700) with five years' service in the Grade rendered after appointment thereto on regular basis and have successfully completed 2-4 weeks training as prescribed by the department . Note. -Where Juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or three years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service.</p> <p>Deputation: Officers from the Central /State Government/Union Territories :</p> <p>(a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; OR (ii) With five year's service in the grade after appointment thereto on a regular basis in posts in the Pay Level-11 of the Pay Matrix (Rs. 67,700-2,08,700/-) or equivalent in the parent cadre/department; and (b) Possessing the following educational qualifications and experience namely:-</p> <p>Essential:</p> <p>(i) Master's Degree of a recognized University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the Degree level, OR Master's Degree of a recognized University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level,</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion):</p> <p>(i) Chairman/ Member, Union Public Service Commission: Chairman, (ii) Joint Secretary, Dept. of Official Language : Member (iii) Director, Central Translation Bureau: Member.</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation.</p>

<p style="text-align: center;">OR</p> <p>Master's Degree from a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level,</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Master's Degree from a recognized University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of examination at the degree level;</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Master's degree from a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subject or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level;</p> <p>(ii) Ten years' experience of using/ applying terminology. (Terminological work) in Hindi and translation work from English to Hindi or <i>vice-versa</i> preferably of technical or scientific literature under Central/State Governments/Autonomous Bodies/Statutory Organizations/Public Sector Undertakings/Universities or recognized Research or Educational Institutions.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Ten years' experience of teaching in Hindi and English or research in Hindi or English under Central/State Governments/Autonomous Bodies/Statutory Organizations/Public Sector Undertakings / Universities or recognized Research or Educational Institutions.</p> <p><u>Desirable:</u></p> <p>Study of one of the languages other than Hindi included in the Eighth Schedule of the Constitution at 10th level from a recognized Board.</p> <p>Note 1: The Departmental Officers in the feeder categories who are in the direct line of the promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: Period of deputation including period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.</p> <p>Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.</p>		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Deputy Director.	2 (Two) * (2018) *(Subject to variation depending on workload).	General Central Services Group 'A' Gazetted Non-Ministerial.	Level-11 (Rs. 677002-2, 08,700)	Selection	N.A.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	N.A.	N.A.	By promotion

(11)	(12)	(13)
<p>Promotion: Assistant Director in Level 10 in the pay matrix (Rs. 56,100-1, 77,500) with Five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis and have successfully completed 2 to 4 weeks training as prescribed by the department.</p> <p>Note—Where Juniors who have completed their qualifying /eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or three years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service.</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :</p> <p>(i) Joint Secretary Deptt. of Official Language : Chairman.</p> <p>(ii) Director, Deptt. of Official Language, MHA: Member.</p> <p>(iii) Director, Central Translation Bureau: Member.</p>	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Assistant Director.	39 (Thirty nine)* (2018) *(Subject to variation depending on workload).	General Central Services Group 'A' Gazetted Non-Ministerial.	Level-10 (Rs. 56,100-177500)	Selection.	N.A.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	N.A.	One year for promotees.	66.67% by promotion failing which by deputation and 33.33% by deputation.

(11)	(12)	(13)
<p>Promotion: Senior Translator in pay level-7 in the pay matrix (44,900-1,42,400) with three years' service in the grade rendered after appointment</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :</p>	Consultation with Union Public Service Commission necessary.

<p>thereto on regular basis and have successfully completed 2-4 weeks training as prescribed by the department.</p> <p>Note. Where Juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p> <p>Deputation:</p> <p>Officers under the Central Government/State Government/ Union Territories:</p> <p>(a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department;</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>(ii) With three year's service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level -7 of the pay matrix Rs 44,900-1,42,400/- or equivalent in the parent cadre/department; and</p> <p>(b) Possessing the following educational qualifications and experience.</p> <p>Essential:</p> <p>(i) Master's Degree of a recognized University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the Degree level,</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Master's Degree from a recognized University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level,</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Master's Degree of a recognized university in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as a medium of examination at the degree level,</p>	<p>(i) Chairman/Member, Union Public Service Commission: Chairman,</p> <p>(ii) Joint Secretary, Deptt. of Official Language : Member.</p> <p>(iii) Director, Central Translation Bureau: Member.</p> <p>Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :</p> <p>(i) Joint Secretary, Deptt. of Official Language- Chairman.</p> <p>(ii) Director, Central Translation Bureau: Member.</p> <p>(iii) Director, Deptt. of Official Language : Member.</p>	
---	---	--

<p style="text-align: center;">OR</p> <p>Master's Degree of a recognized university in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of examination at the degree level,</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Master's Degree from a recognized university in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as a compulsory or elective subject or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level,</p> <p>(ii) Three year's experience of using/ applying terminology (Terminological work) in Hindi and translation work from English to Hindi or <i>vice-versa</i> preferably of technical or scientific literature under Central/State Governments/Autonomous Bodies/Statutory Organizations/ Public Sector Undertakings / Universities or recognized Research or Educational Institutions.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Three year's experience of teaching in Hindi and English or research in Hindi or English under Central/State Governments/Autonomous Bodies/Statutory Organizations/ Public Sector Undertakings/ Universities or recognized Research or Educational Institutions.</p> <p>Desirable :</p> <p>Studied one of the languages other than Hindi included in the Eighth Schedule of the Constitution at 10th level from a recognized board.</p> <p>Note 1: The Departmental Officers in the feeder categories who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation including period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization/Department of the</p>		
---	--	--

<p>Central Government shall ordinarily not to exceed three years.</p> <p>Notes : The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications.</p>		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.Senior Translator	53 (Fifty three)* (2018) *(Subject to variation dependent on workload)	General Central Services Group 'B' Non-Gazetted Non- Ministerial	Level-7	N.A.	<p>Not exceeding 30 years.</p> <p>Note 1: Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.</p> <p>Note 2: The Crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (And not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir state, Lahaul and Spiti district and Pangi sub division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andman & Nicobar Island or Lakshadweep.)</p>

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Essential:</p> <p>(i) Master's Degree of a recognized University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Master's Degree of a recognized University in English with Hindi as a</p>	N.A.	02 years	<p>By direct recruitment.</p> <p>Note : Vacancies caused by the incumbent being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on transfer on deputation basis from Officers</p>

<p>compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subject or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level .AND</p> <p>Recognized diploma or certificate course in translation from Hindi to English or <i>vice versa</i> or three year's experience of translation work from Hindi to English or <i>vice versa</i> in a Central or State Government office, including Government of India Undertaking.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority for regions to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2:The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes for regions to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission/ Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities/ possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>			<p>of Central Government:</p> <p>(a)(i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department;</p> <p style="text-align: center;">And</p> <p>(b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under col.7</p>
---	--	--	---

(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering confirmation: 1. Director, Central Translation Bureau : Chairman 2. Joint Director, Central Translation Bureau : Member 3. Under Secretary, any Ministry/Department outside Deptt. of Official Language : Member	Consultation with Union Public Service Commission not Necessary

[F. No. 13011/19/2009-OL(CTB)]

RAJU LAL MEENA, Under Secy.

वित्त मंत्रालय**(आर्थिक कार्य विभाग)**

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2018

सा. का. नि. 381.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में उप निदेशक (बजट और लेखा) भर्ती नियम, 2006 का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन बातों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने हेतु लोप किया गया है, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में उप निदेशक (बजट और लेखा) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- (1) **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**- (1) इन नियमों को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, उप निदेशक (बजट और लेखा) भर्ती नियम, 2018 कहा जाएगा।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- (2) **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल.**- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में लेवल वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम (2) से कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- (3) **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.**- उक्त पद की भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से कॉलम (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- (4) **निरर्हता.**- वह व्यक्ति,-
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह या अनुबंध किया है, या;
- (ख) जिसने, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह या अनुबंध किया है,
- उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:
- परंतु यदि केन्द्रीय सरकार को यह संतुष्टि हो जाती है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार के लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. **शिथिल करने की शक्ति.**- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के बाद इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग या व्यक्तियों के संबंध में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति.**- इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशिष्ट वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उप निदेशक (बजट और लेखा)	04* (2018) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय)	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अनुसचिवीय।	लेवल-11	चयन पद	लागू नहीं	लागू नहीं

क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति क्या यह सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा होगी और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे प्रवर्ग जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं	पुनर्नियुक्त अधिकारियों हेतु सेवानिवृत्ति से पूर्व दो वर्ष	(i) 25% पदोन्नति, ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति। (ii) 75% प्रतिनियुक्ति/ आमेलन/ सशस्त्र बल कार्मिकों को पुनर्नियुक्ति	पदोन्नति:- अनुभाग अधिकारी (बाह्य) ग्रेड में छः वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स के लेवल 8 में। टिप्पण: जहां कनिष्ठ कार्मिकों, जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, उनकी पदोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनसे वरिष्ठ कार्मिकों की पदोन्नति पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते उनकी अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा की आधे से अधिक अवधि अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने अपने कनिष्ठ कार्मिकों, जिन्होंने योग्यता अथवा पात्रता सेवा पहले ही पूर्ण कर ली है, के साथ ही अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति हेतु अपनी परिबीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। प्रतिनियुक्ति/आमेलन:- केंद्रीय अथवा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन अधिकारियों में से:- (क)(i) जो मूल संवर्ग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) पे मैट्रिक्स के लेवल 10 अथवा लेवल 9 अथवा मूल संवर्ग में समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात प्रदत्त ग्रेड में 5 वर्षीय सेवा अथवा (iii) पे मैट्रिक्स के लेवल 8 अथवा मूल संवर्ग में समतुल्य में

			<p>नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात प्रदत्त ग्रेड में 6 वर्षीय सेवा; और</p> <p>(ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता और अनुभव, नामतः-</p> <p>(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक डिग्री; और</p> <p>(ii) किसी विभाग के वित्त अथवा बजट अथवा लेखा प्रभाग में पांच वर्ष का अनुभव</p> <p>सशस्त्र सेना कार्मिक का पुनर्नियोजन:-</p> <p>सशस्त्र सेना कार्मिक जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा निवृत्त होने वाला है अथवा जिन्हें रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और जिनके पास वांछित अनुभव और निर्धारित योग्यता है, उन पर भी विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उस तिथि तक प्रतिनियुक्ति शर्तें दी जाएंगी जिस तिथि पर वे सशस्त्र बलों से रिजर्व किया जाएगा; उसके बाद उन्हें पुनः नियोजन पर जारी रखा जा सकता है।</p> <p>टिप्पण 1. केवल केंद्र अथवा राज्य सरकार के कर्मचारी आमेलन हेतु पात्र हैं।</p> <p>टिप्पण 2. फीडर वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जिनकी सीधी पदोन्नति हेतु पात्रता है वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार से प्रतिनियुक्ति वाले पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 3. केंद्र सरकार के समान अथवा अन्य कोई संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के तत्काल पूर्व में धारित अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया चार वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति की अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने के अंतिम तिथि पर 56 वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p>
--	--	--	--

विभागीय प्रोन्नति समिति यदि कोई है, तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
<p>समूह 'क', विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के विचारार्थ) में निम्न सदस्य होंगे:</p> <p>(i) अध्यक्ष अथवा सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष</p> <p>(ii) संयुक्त सचिव (प्रशासन), आर्थिक कार्य विभाग - सदस्य</p> <p>(iii) संयुक्त सचिव (प्रशासन), वित्तीय सेवाएं विभाग - सदस्य</p> <p>समूह 'क' विभागीय सेवा - स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ) में निम्न सदस्य होंगे:</p> <p>(i) संयुक्त सचिव (प्रशासन), आर्थिक कार्य विभाग - अध्यक्ष</p> <p>(ii) निदेशक अथवा उप सचिव (बजट प्रभाग), आर्थिक कार्य विभाग - सदस्य</p> <p>(iii) निदेशक/उप सचिव (प्रशासन), आर्थिक कार्य विभाग - सदस्य</p>	<p>पद पर नियुक्ति हेतु प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।</p>

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Economic Affairs)**

New Delhi, the 3rd December, 2018

G.S.R. 381.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, **Deputy Director (Budget and Accounts)** Recruitment Rules, 2006 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of **Deputy Director (Budget and Accounts)** in the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, namely : -

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, **Deputy Director (Budget and Accounts)** Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and Level in Pay Matrix. – The number of the said post, its classification and the Level in the Pay Matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age- limit and other qualifications, etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications. – No person; –

- a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provide that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any persons from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.

6. Saving. – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection or non-selection post	Age limits for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Deputy Director (Budget and Accounts)	4* (2018) * (Subject to variation dependent on work load)	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial	Level-11	Selection post	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years for re-employed officers before the age of superannuation and promotee.	(i) 25% Promotion failing which deputation (ii) 75% Deputation/Absorption/Re-employment of Armed Forces Personnel.

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Department Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
<p>Promotion :- Section Officers (Excluded) in the Level 8 of Pay Matrix with six years regular service in the Grade.</p> <p>Note:- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed with qualifying or eligibility service</p> <p>Deputation/Absorption:- From amongst officers under the Central or State Government/Union Territories :-</p> <p>(a)</p> <p>(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre; or</p> <p>(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 10 or Level 9 of Pay Matrix or equivalent in the parent cadre; or</p> <p>(iii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level-8 of Pay Matrix or equivalent in the parent cadre; and</p> <p>(b) possessing the following Educational qualification and experience, namely:-</p>	<p>Group 'A', Departmental Promotion Committee (For considering promotion) consisting of :</p> <p>(i) Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman</p> <p>(ii) Joint Secretary (Administration), Department of Economic Affairs - Member</p> <p>(iii) Joint Secretary (Administration), Department of Financial Services - Member</p> <p>Group 'A' of Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :</p> <p>(i) Joint Secretary (Administration), Department of Economic Affairs- Chairman</p> <p>(ii) Director or Deputy Secretary (Budget Division), Department of Economic Affairs- Member</p> <p>(iii) Director/Deputy Secretary (Administration), Department of Economic Affairs- Member.</p>	<p>Consultation with the Union Public Service Commission is necessary for appointment to the post on each occasion.</p>

<p>(i) Bachelors degree from a recognized University or Institution ; and</p> <p>(ii) five years' experience in Finance or Budgeting or Accounts Division of any Department.</p> <p>Re-employment of Armed Forces Personnel:- The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualification prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.</p> <p>Note 1- Central or State Government employees are only eligible for absorption.</p> <p>Note 2- The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 3- Period of deputation including period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications.</p>		
---	--	--

[F. No. A-12011/08/2017-Ad.IA]

SANJEEV GUPTA, Under Secy.

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय**(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)**

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2018

सा.का.नि.382.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान (प्रशिक्षण उपस्कर प्रचालक) भर्ती नियम, 1990 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान में प्रशिक्षण उपस्कर प्रचालक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान, प्रशिक्षण उपस्कर प्रचालक समूह 'ग', अराजपात्रित पद भर्ती नियम, 2018 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं आदि.**— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति—
 (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है या
 (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है
 उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है, कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबन्ध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अधिसूचना

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रशिक्षण उपस्कर प्रचालक	* 01 (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिबीय	वेतन मैट्रिक्स (29200-92300/-रु) में स्तर-5	लागू नहीं होता।	18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परीवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति और विभिन्न द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य;	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण:- पदधारी की प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लंबी बीमारी या

<p>2. जिसके पास किसी सरकारी मान्यताप्राप्त संस्थान से सोलह एम.एम फिल्म प्रक्षेपण या वी.सी.आर., टी.वी. और अन्य उपस्कर के प्रहस्तन और अनुरक्षण का प्रमाण-पत्र हो।</p> <p>3. श्रव्य दृश्य उपस्करों जिनके अंतर्गत कैमरा या वीडियो रिकार्डिंग भी है, के प्रहस्तन का दो वर्ष का अनुभव हो।</p> <p>टिप्पण:- अर्हताएँ और अनुभव सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p>			<p>अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के कारण हुई रिक्ति को केन्द्रीय सरकार/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वशासी निकायों के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी जिसके पास निम्नलिखित अर्हताएँ हैं अर्थात:-</p> <p>(i) (क) जो मूल कार्डर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है;</p> <p>(ख) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (25500-81100/- ₹) के स्तर-4 के वेतन में उस पद पर पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(ii) जिसके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएँ हों।</p>
--	--	--	---

<p>प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना</p>	<p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा</p>
(11)	(12)	(13)
<p>लागू नहीं होता।</p>	<p>विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <p>(1) अपर निदेशक, सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान - अध्यक्ष</p> <p>(2) उपनिदेशक (प्रशासन), सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान - सदस्य</p> <p>(3) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयुक्त के कार्यालय से एक अधिकारी - सदस्य</p> <p>(4) अनुभाग अधिकारी, सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान - सदस्य</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>

[फा.सं. ए-12034/15/2016-आई एस टी एम]

सैयद इमरान अहमद, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 30th November, 2018

G.S.R.382.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Institute of Secretariat Training and Management, Training Equipment Operator Recruitment Rules, 1990, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Training Equipment Operator in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, Institute of Secretariat Training and Management, namely:-

1. **Short title and commencement.** — (1) These rules may be called the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, Institute of Secretariat Training and Management, Training Equipment Operator, Group 'C' Non-Gazetted Post Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix shall be as specified in columns (2) to (4) of the schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** — No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special category of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Training Equipment Operator.	01 (2018)* * (Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group C, Non – Gazetted, Non-Ministerial.	Level 5 in the pay matrix (Rs.29200 - 92300/-)	Not applicable.	Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servants up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram,

					Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep
--	--	--	--	--	---

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
<p>(1) 12th class pass or equivalent from a recognised board;</p> <p>(2) Certificate for handling and maintenance of a 16 mm film projector or VCR, TV and other equipment from a Government recognised institute; and</p> <p>(3) two years experience in handling audio-visual equipment including camera or video recording.</p> <p>Note: Qualification and experience are relaxable at the discretion of the competent authority.</p>	Not applicable.	Two years.	<p>By Direct Recruitment.</p> <p>Note: Vacancy caused by the incumbent being away in transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled up on deputation basis from officers of Central Government/ Public Sector Undertakings or Autonomous bodies and having the following qualifications namely :-</p> <p>(i) (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department;</p> <p>(b) with five year's regular service in the post with pay in Level-4 of pay matrix (Rs. 25500 - 81100/-); and</p> <p>(ii) Possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (7).</p>

In the case of recruitment by promotion or deputation or transfer grades from which promotion or deputation, transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Departmental confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Additional Director, Institute of Secretariat Training and Management – Chairman; (2) Deputy Director (Administration), Institute of Secretariat Training and Management –Member; (3) An Officer from the office of Commissioner for scheduled Castes/ Scheduled Tribes - Member; (4) Section Officer, Institute of Secretariat Training and Management –Member.	Not applicable.

[F.No. A-12034/15/2016-ISTM]

SYED IMRAN AHMED, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2018

सा.का.नि. 383.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान (बहुकार्य कर्मचारीवृन्द) भर्ती नियम, 2013 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में बहुकार्य कर्मचारिवृन्द के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान, (बहुकार्य कर्मचारीवृन्द) समूह 'ग', अराजपात्रित पद भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता .— वह व्यक्ति—

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है या
 (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है
 उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है, कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति .—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बहुकार्य कर्मचारीवृन्द	* 27 (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपात्रित, अननुसचिवीय	स्तर-1 (18000-56900/-रु.)	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिदीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेसन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. उप निदेशक (प्रशासन) सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान - अध्यक्ष 2. अवर सचिव, प्रशिक्षण प्रभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण	लागू नहीं होता।

	विभाग - सदस्य	
	3. उपनिदेशक, सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान - सदस्य	
	4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित कोई अधिकारी जो अनुभाग अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो - सदस्य	
	5. अनुभाग अधिकारी, सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान - सदस्य	

[फा.सं. ए-12034/13/2016-आई एस टी एम]

सैयद इमरान अहमद, अवर सचिव

New Delhi, the 30th November, 2018

G.S.R . 383.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Institute of Secretariat Training and Management (Multi Tasking Staff) Recruitment Rules, 2013, except as respects things done or omitted to have been done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Multi Tasking Staff in the Institute of Secretariat Training and Management, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, namely:-

1. Short title and commencement.—

(1) These rules may be called the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, Institute of Secretariat Training and Management (Multi Tasking Staff), Group 'C', Non-Gazetted Posts Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in the pay matrix.— The number of the said post, its classification and level in the pay matrix shall be as specified in columns (2) to (4) of the schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.— No person, -

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special category of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Multi Tasking Staff.	*27 (2018) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 1 (Rs.18000 – 56900/-)	Not applicable.	Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for Government servants up to age of forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
10 th pass or equivalent from a recognised Board	Not applicable	Two years	By direct recruitment

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :- (1) Deputy Director(Administration), Institute of Secretariat Training and Management -Chairman (2) Under Secretary, Training Division, Department of Personnel and Training -Member (3) Deputy Director, Institute of Secretariat Training and Management -Member	Not applicable

	(4) An officer not below the rank of Section Officer belonging to the Scheduled Castes or the Schedule Tribes -Member (5) Section Officer, Institute of Secretariat Training and Management -Member	
--	--	--

[F. No. A-12034/13/2016-ISTM]

SYED IMRAN AHMED, Under Secy.

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2018

सा.का.नि. 384.—केंद्रीय सरकार, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22), की धारा 27 की उप-धारा (2) के खंड (घ) के साथ पठित उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केंद्रीय सूचना आयोग, स्टाफ कार ड्राइवर भर्ती नियम, 2011 को अधिक्रान्त करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सूचना आयोग, कर्मचारी वृन्द कार चालक (विशेष श्रेणी), (श्रेणी-I), (श्रेणी-II), (साधारण श्रेणी) समूह 'ख' और 'ग' पद भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर** - पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि** - भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** - वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** - जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. कर्मचारीवृन्द कार चालक (विशेष श्रेणी)	01* (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (35400-112400 रु.) में स्तर 6	अचयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति :- वेतन मैट्रिक्स (29200-92300 रु.) में स्तर 5 ऐसे कर्मचारी वृन्द कार चालक श्रेणी-1 जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है।	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अपर सचिव, केंद्रीय सूचना आयोग - अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, केंद्रीय सूचना आयोग - सदस्य 3. उप सचिव, केंद्रीय सूचना आयोग - सदस्य 2. समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अपर सचिव, केंद्रीय सूचना आयोग - अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, केंद्रीय सूचना आयोग - सदस्य 3. उप सचिव, केंद्रीय सूचना आयोग - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. कर्मचारीवृन्द कार चालक श्रेणी-1	04* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (29200-92300 रु.) में स्तर 5	अचयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति :- वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रु.) में स्तर 4 ऐसे कर्मचारीवृन्द कार चालक श्रेणी-2 जिन्होंने उस श्रेणी में छः वर्ष की नियमित सेवा के साथ या कर्मचारीवृन्द कार चालक ग्रेड-11 और कर्मचारीवृन्द कार चालक (साधारण श्रेणी)	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. संयुक्त सचिव (प्रशा.),	लागू नहीं होता।

में पन्द्रह वर्ष की सम्मिलित सेवा के साथ; सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसायिक परीक्षण पास किया हो।	केंद्रीय सूचना आयोग – अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, केंद्रीय सूचना आयोग - सदस्य 3. उप सचिव, केंद्रीय सूचना आयोग – सदस्य	
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. कर्मचारीवृन्द कार चालक समूह-II	04* (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रु.) में स्तर 4	अचयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति :- वेतन मैट्रिक्स (19900-63200 रु.) में स्तर 2 ऐसे कर्मचारीवृन्द कार चालक (साधारण श्रेणी) जिन्होंने उस श्रेणी में नौ वर्ष की नियमित सेवा की है और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसायिक परीक्षण पास किया है।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. संयुक्त सचिव (प्रशा.), केंद्रीय सूचना आयोग – अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, केंद्रीय सूचना आयोग - सदस्य 3. उप सचिव, केंद्रीय सूचना आयोग – सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. कर्मचारीवृन्द कार चालक (साधारण श्रेणी)	04* (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (19900-63200 रु.) में स्तर 2	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पणी :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो

					<p>असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p> <p>टिप्पण :- यदि 'सीधी भर्ती' 'सीधी खुली प्रतियोगिता परीक्षा' द्वारा की जाएगी तो आयु सीमा 18 - 27 वर्ष के बीच हो सकती है।</p>
--	--	--	--	--	--

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>आवश्यक :-</p> <p>(i) मोटर कार के चलाने के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति रखता हो;</p> <p>(ii) मोटर यान की यंत्र क्रिया का ज्ञान (अभ्यर्थी यान में छोटी-मोटी खराबियों को दूर करने में समर्थ होना चाहिए);</p> <p>(iii) मोटर कार के चालन का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव; और</p> <p>(iv) दसवीं स्तर पास</p> <p>वांछनीय :-</p> <p>होमगार्ड या सिविल रक्षा सेवक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव</p> <p>टिप्पण 1 – अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2 - अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि</p>	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती या पुनःनियोजन किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा जिसके न हो पाने पर सीधी भर्ती द्वारा सशस्त्र सेना कार्मिक के लिए: प्रतिनियुक्त या पुनःनियोजन

उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			
--	--	--	--

(11)	(12)	(13)
<p>प्रतिनियुक्ति/आमेलन :- केंद्रीय सूचना आयोग में वेतन मैट्रिक्स (18000-56900 रु.) में स्तर-1 में के ऐसे नियमित सवार-हरकारा (समूह 'ग') और समूह 'ग' कर्मचारियों में से जिनके पास मोटर कार चालन की सक्षमता के निर्धारण के लिए मोटर चालन परीक्षा के आधार पर मोटर कार चलाने की विधिमान्य अनुज्ञप्ति है जिसके न हो सकने पर केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों में के पदधारियों में से जो नियमित आधार पर सवार हरकारा का पद धारण किए हुए है या वेतन मैट्रिक्स (18000-56900 रु.) में स्तर-1 में के ऐसे नियमित समूह 'ग' कर्मचारी जो स्तंभ (7) में उल्लिखित आवश्यक अर्हताएं पूरी करते हो।</p> <p>सशस्त्र सेना कार्मिक के लिए प्रतिनियुक्त/आमेलन</p> <p>ऐसे सशस्त्र कार्मिक जो एक वर्ष की अवधि के अंदर सेवा निवृत्त हो रहे है या रिजर्व में अंतरित हो रहे है और विहित अपेक्षित अनुभव और अर्हता रखते है, उनपर भी विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उनके सशस्त्र बल से निर्मुक्त होने की तारीख तक प्रतिनियुक्त पर रखा जाएगा; तत्पश्चात् वे पुनः नियोजन पर पद पर बने रहेंगे।</p> <p>टिप्पण :- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. संयुक्त सचिव (प्रशा.), केंद्रीय सूचना आयोग – अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, केंद्रीय सूचना आयोग - सदस्य 3. उप सचिव, केंद्रीय सूचना आयोग – सदस्य 	<p>लागू नहीं होता।</p>

[फा.सं. 1/31/2010-आईआर (खंड-II)]

राजबीर सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 3rd December, 2018

G.S.R. 384.—In exercise of powers conferred by sub-section (1) read with clause (d) of sub-section (2) of section 27 of the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules in supersession of the Central Information Commission, Staff Car Drivers, Recruitment Rules, 2011 namely :-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Central Information Commission, Staff Car Drivers (Special Grade), (Grade-I), (Grade-II), and (Ordinary Grade) Group ‘B’ and ‘C’ posts Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.**—The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, other qualifications etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with DOPT, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, the Schedule Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether Selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Staff Car Driver (Special Grade).	01* (2018) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group ‘B’, Non-Gazetted, Non – Ministerial.	Level – 6 in the Pay Matrix (Rs. 35400-112400).	Non-Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years	Promotion

In case of recruitment/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation /absorption to be made.	If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
<p>Promotion :</p> <p>Staff Car Driver Grade I in Level – 5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) with three years of regular service in the grade.</p>	<p>Group ‘B’ Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of :-</p> <p>(i) Additional Secretary, Central Information Commission - Chairman;</p> <p>(ii) Joint Secretary, Central Information Commission- Member;</p> <p>(iii) Deputy Secretary, Central Information Commission- Member.</p> <p>Group ‘B’ Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-</p> <p>(i) Additional Secretary, Central Information Commission - Chairman;</p> <p>(ii) Joint Secretary, Central Information Commission- Member;</p> <p>(iii) Deputy Secretary, Central Information Commission - Member.</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Staff Car Driver Grade I	04* (2018) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group ‘C’, Non-Gazetted, Non- Ministerial	Level – 5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300)	Non-Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion

(11)	(12)	(13)
<p>Promotion :</p> <p>Staff Car Driver Grade- II in Level – 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) with six years of regular service in the grade or with a combined service of fifteen years in Staff Car Driver Grade- II and Staff Car Driver (Ordinary Grade); and have passed the trade test, specified by the Government.</p>	<p>Group ‘C’ Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of :-</p> <p>(i) Joint Secretary (Admn), Central Information Commission - Chairman;</p> <p>(ii) Joint Secretary, Central Information Commission - Member;</p> <p>(iii) Deputy Secretary, Central Information Commission - Member.</p>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Staff Car Driver Grade II.	04 * (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group ‘C’, Non-Gazetted, Non – Ministerial.	Level – 4 in the pay matrix (Rs. 25500 -81100).	Non-Selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion

(11)	(12)	(13)
Promotion : Staff Car Driver (Ordinary Grade) in Level – 2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) with nine years of regular service in grade and have passed the trade test, specified by the Government.	Group ‘C’ Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- (i) Joint Secretary (Admn), Central Information Commission - Chairman; (ii) Joint Secretary, Central Information Commission - Member; (iii) Deputy Secretary, Central Information Commission - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Staff Car Driver (Ordinary Grade).	04 * (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group ‘C’, Non-Gazetted, Non Ministerial.	Level – 2 in the pay matrix (Rs.19900 – 63200).	Not applicable.	Between 18 and 25 years* (Relaxable for Government servants upto 40 year in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Anadaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). * If the ‘direct recruitment’ is to be made by ‘direct open competitive

					examination', the age limit would be 18-27 years.
--	--	--	--	--	---

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Essential :</p> <p>(i) Possession of a valid Driving License for motor cars;</p> <p>(ii) Knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor-defects in vehicle);</p> <p>(iii) Experience of driving a motor car for at least three years.; and</p> <p>(iv) Pass in 10th standard.</p> <p>Desirable :</p> <p>Three years' service as Home Guard/Civil Volunteers.</p> <p>Note1: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority.</p> <p>Note 2: In the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>	Not applicable.	Two years for direct recruits or re-employed.	Deputation/absorption failing which by direct recruitment. For Armed Forces Personnel: deputation/ re-employment.

(11)	(12)	(13)
<p>Deputation/ Absorption :</p> <p>From the regular Dispatch Rider (Group C) and Group C employees in Level – 1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) in the Central Information Commission who possess valid Driving License for Motor Cars on the basis of a Driving Test to assess the competence to drive Motor Cars failing which from officials holding the post of Dispatch Rider on regular basis or regular Group C employees in Level – 1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) in other Ministries of the Central Government who fulfill the necessary qualifications as mentioned in column (7).</p> <p>Deputation/ re-employment for Armed Forces Personnel: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.</p>	<p>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-</p> <p>(i) Joint Secretary (Admn), Central Information Commission - Chairman;</p> <p>(ii) Joint Secretary, Central Information Commission - Member;</p> <p>(iii) Deputy Secretary, Central Information Commission - Member.</p>	Not applicable.

<p>Note: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation/ absorption shall be 'Not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications.</p>		
---	--	--

[F.No. 1/31/2010-IR (Vol. II)]

RAJBIR SINGH, Under Secy

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2018

सा.का.नि. 385.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं लोक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता (समूह 'ग') भर्ती नियम, 1990 और जहां तक उनका संबंध **रोकड़िया** के पद से हैं, उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं लोक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता में **रोकड़िया** पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं लोक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता, **रोकड़िया** (समूह 'ग') पद) भर्ती नियम 2018 है।

(2) यह सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतनमान या वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर.— पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि.— भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता. — वह व्यक्ति

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है जिसका पति या पत्नी जीवित है; या

(ख) जिसने एक पति/एक पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह की संविदा की है उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा:-

परंतु यदि केंद्रीय सरकार इससे सहमत है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति. — जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति. — इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान या वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित पद है या अचयनित	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रोकड़िया	1* (एक)(2018) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है।)	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसूचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (25,500-81,100 रु.) में स्तर-4	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

प्रत्यक्ष भर्ती हेतु अपेक्षित शिक्षा तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग्यताएं प्रोन्नत होने वाले व्यक्तियों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की विधि: क्या सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति/आमेलन ग्रेड द्वारा भर्ती के मामले में, जिनसे प्रोन्नति/प्रति-नियुक्ति/आमेलन किया जाना है	यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है, उसकी संरचना कैसी है	परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करने हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(11)	(12)	(13)
<p>प्रतिनियुक्ति :</p> <p>केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों या स्वायत्त संगठन संस्थाओं के ऐसे अधिकारी,</p> <p>(क) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हों, या</p> <p>(ख) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (21700-69100 रु.) में स्तर-3 के पद पर पांच वर्षों की नियमित सेवा की हों;</p> <p>टिप्पण - 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण - 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए. 60011/04/2015-एमई(पीटी)-III]

प्रदीप कुमार पाल, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Department of Health)**

New Delhi, the 29th November, 2018

G.S.R. 385.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the All India Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta (Group 'C') Recruitment Rules, 1990, in so far as they relate to the post of Cashier, except as respects things done or omitted to be done before such

supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Cashier in the Ministry of Health and Family Welfare, All India Institute of Hygiene and Public Health, Kolkata, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, All India Institute of Hygiene and Public Health, Kolkata, Cashier, (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, level in pay matrix or pay scale.— The number of the said post, its classification and level in the pay matrix or pay scale attached there to shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with any person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age- limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Cashier	1(one)* (2018) *(Subject to variation dependent on work load).	General Central Service, Group 'C', Non - Gazetted, Non - Ministerial.	Level - 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81100)	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grade from which promotion or deputation/ absorption to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
<p>Deputation:</p> <p>Officials under the Central Government or State Government or Union territories or public sector undertakings or autonomous organisations:-</p> <p>(a) holding analogous posts on regular basis; or</p> <p>(b) with five years of regular service in post in level-3 in the pay matrix (Rs.21700-69100);</p> <p>Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment on deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>	Not applicable	Not applicable.

[F. No. A. 60011/04/2015-ME(Pt.)-II]

PRADIP KUMAR PAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2018

सा.का.नि. 386.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए -

(i) अखिल भारतीय स्वच्छता एवं लोक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता (समूह 'ग') भर्ती नियम, 1990 और जहां तक उनका संबंध केयर टेकर के पद से हैं।

(ii) अखिल भारतीय स्वच्छता एवं लोक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता (समूह 'ग' पदों) भर्ती नियम, 1993, जहां तक उनका संबंध फार्मासिस्ट के पद से हैं;

उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं लोक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता (समूह 'ग') पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं लोक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता, फार्मासिस्ट और केयरटेकर (समूह 'ग') भर्ती नियम 2018 है।

(2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना .— ये नियम, इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतनमान अथवा वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर .— पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि .—**उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता .—** वह व्यक्ति

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है जिसका पति या पत्नी जीवित है; या

(ख) जिसने एक पति/एक पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह की संविदा की है उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा:-

परंतु यदि केंद्रीय सरकार इससे सहमत है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति .—** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति .—** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान अथवा वेतन मैट्रिक्स स्तर	चयनित पद है अथवा अचयनित	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
फार्मासिस्ट	5*(पांच)* (2018) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (29,200-92,300रु.) में स्तर -5	लागू नहीं	18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के मामले में सरकारी कर्मचारियों हेतु 45 वर्ष और अनु.जाति और अनु.जनजाति के अभ्यर्थियों के मामले में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाएगी। आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी

					(न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले का लाहौल एवं स्पीति जिला तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड और अण्डमान और निकोबार, द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पण 2 : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तिथि वह अंतिम तिथि होगी तारीख को रोजगार केंद्र से नाम प्रस्तुत करने कहा जाता है।
--	--	--	--	--	---

प्रत्यक्ष भर्ती हेतु अपेक्षित शिक्षा तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग्यताएं पदोन्नत होने वाले व्यक्तियों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की विधि: क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास; (ii) फार्मैसी में डिप्लोमा; और (iii) किसी राज्य फार्मैसी परीषद के साथ पंजीकृत हों। टिप्पण: 1. यदि उम्मीदवार सुयोग्य है तो उसके कारणों को लिखित में दर्ज करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने विवेक पर अनुभव से संबंधित योग्यता में छूट दी जा सकती है। 2. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के मामलों में, यदि चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी के विकार में इन	लागू नहीं	दो वर्ष टिप्पण: दो वर्ष की अवधि में दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना सम्मिलित होगा।	सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण : (क) पदाधिकारी के प्रतिनियुक्ति पर जाने या लंबी बीमारी पर हटने या एक या अधिक वर्ष की अवधि के लिए अध्ययन अवकाश पर जाने अथवा अन्य परिस्थितियों के अधीन बाहर रहने के कारण उत्पन्न रिक्तियों को केंद्र सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति आधार

समुदायों से पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों के पास उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव न हो, तो सक्षम प्राधिकारी अपने विवेक पर अनुभव से संबंधित योग्यता में छूट दे सकता है।			पर भरा जा सकता है; (ख) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारित हों; और (ग) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती हेतु निर्धारित योग्यताएं और अनुभव रखते हैं।
--	--	--	--

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन ग्रेड द्वारा भर्ती के मामले में, जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, उसकी संरचना कैसी है	परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करने हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	समूह 'ग' विभागीय स्थायी समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है:- (1) अपर निदेशक, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं लोक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता -अध्यक्ष (2) प्रोफेसर अथवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी (गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड) संबंधित विशेषज्ञता का विशेषज्ञ - सदस्य (3) प्रशासनिक अधिकारी, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं लोक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता - सदस्य	लागू नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. केयरटेकर	3* (तीन)* (2018) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसन्धिवीय	वेतन मैट्रिक्स (19,900-63,200 रु.) में स्तर -2	लागू नहीं	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के मामले में सरकारी कर्मचारियों हेतु 45 वर्ष और अनु.जाति और अनु.जनजाति के अभ्यर्थियों के मामले में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाएगी। आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में

				<p>अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले का लाहौल एवं स्पीति जिला तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड और अण्डमान और निकोबार, द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</p> <p>टिप्पण 2 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तिथि वह अंतिम तिथि होगी जिस तारीख को रोजगार केंद्र से नाम प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।</p>
--	--	--	--	---

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>(i) भवन के केयरटेकर के रूप में और बहुकार्यकर्मचारिवृंद के कार्य के पर्यवेक्षण के एक वर्ष के अनुभव के साथ मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास;</p> <p>वांछनीय : भूतपूर्व सैनिक</p> <p>टिप्पण:</p> <ol style="list-style-type: none"> यदि उम्मीदवार सुयोग्य है तो उसके कारणों को लिखित में दर्ज करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने विवेक पर छूट दी जा सकती है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में, यदि चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी के विचार में इन समुदायों से पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों के पास उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव न हो, तो सक्षम प्राधिकारी अपने विवेक पर अनुभव से संबंधित योग्यता में छूट दे सकता है। 	लागू नहीं	<p>दो वर्ष</p> <p>टिप्पण: दो वर्ष की अवधि में दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना शामिल होगा।</p>	<p>सीधी भर्ती द्वारा</p> <p>टिप्पण:</p> <p>पदाधिकारी के प्रतिनियुक्ति पर जाने या लंबी बीमारी पर हटने या एक या अधिक वर्ष की अवधि के लिए अध्ययन अवकाश पर जाने अथवा अन्य परिस्थितियों के अधीन बाहर रहने के कारण उत्पन्न रिक्तियों को केंद्र सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जा सकता है;</p> <p>(क) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारित हों; और</p>

			(ख) स्तंभ (7) के तहत सीधी भर्ती हेतु निर्धारित योग्यताएं और अनुभव रखते हैं।
--	--	--	---

(11)	*12)	(13)
लागू नहीं	समूह 'ग' विभागीय स्थायी समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल है:- (1) अपर निदेशक, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं लोक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता - अध्यक्ष; (2) प्रोफेसर अथवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी (गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड) - सदस्य; (3) प्रशासनिक अधिकारी, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं लोक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता - सदस्य	लागू नहीं

[फा. सं. ए. 60011/01/2017-एमई]

प्रदीप कुमार पाल, अवर सचिव

New Delhi, the 29th November, 2018

G.S.R. 386.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of –

- (i) the All India Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta (Group 'C') Recruitment Rules, 1990, in so far as they relate to the post of Caretaker; and
- (ii) the All India Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1993, in so far as they relate to the post of Pharmacist;

except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Pharmacist and Caretaker, in the Ministry of Health and Family Welfare, All India Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, All India Institute of Hygiene and Public Health, Kolkata, Pharmacist and Caretaker (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.— These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification, level in pay matrix or pay scale .— The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualifications.—No person,-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with any person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
- shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, other Backward classes relaxation of age-limit and other concessions required to be provided to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in pay matrix or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age- limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pharmacist.	5* (five)* (2018) *(Subject to variation dependent on work load).	General Central Services, Group 'C', Non-Gazetted, Non - Ministerial.	Level - 5 in the pay matrix (Rs. 29,200-92,300)	Not applicable.	Between 18 to 27 years (Relaxable for Government servants up to forty years in the case of general candidates and forty-five years in the case of candidates belonging to the Schedule Castes and the Schedule Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note I: The crucial date for determining the age- limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission. The closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State.

					<p>Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).</p> <p>Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.</p>
--	--	--	--	--	---

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
<p>(i) Twelfth standard pass from a recognised Board;</p> <p>(ii) Diploma in Pharmacy ; and</p> <p>(iii) Registered with any State Pharmacy Council.</p> <p>Note:</p> <p>1. The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>2. The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing in case candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes category if, at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not available to fill up the vacancies reserved for them.</p>	<p>Not applicable.</p>	<p>Two years.</p> <p>Note: The period of two years shall include successful completion of mandatory induction training of two weeks duration.</p>	<p>By direct recruitment.</p> <p>Note:</p> <p>Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government :-</p> <p>(a) holding analogous posts on regular basis; and</p> <p>(b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p>

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grade from which promotion or deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	<p>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-</p> <p>(1). Additional Director, All India Institute of Hygiene and Public Health, Kolkata - Chairman;</p> <p>(2). Professor or Chief Medical Officer (Non Functional Selection Grade) Specialist of the concerned speciality -Member;</p> <p>(3). Administrative Officer, All India Institute of Hygiene Public Health, Kolkata - Member.</p>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Caretaker	3* (Three) (2018) *(Subject to variation dependent on work load).	General Central Services, Group 'C', Non-Gazetted, Non -Ministerial	Level - 2 in the pay matrix (Rs.19,900-63,200)	Not applicable	<p>Between 18 to 27 years (Relaxable for Government servants up to forty years in the case of general candidates and forty-five years in the case of candidates belonging to the Schedule Castes and the Schedule Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p>Note I: The crucial date for determining the age-limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission. The closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.</p>

					Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.
--	--	--	--	--	--

(7)	(8)	(9)	(10)
Twelfth standard pass from a recognised Board with one year experience as Caretaker of building and supervision of work of Multi-Tasking Staff. Desirable: Ex-servicemen. Note: 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. 2. The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing in case candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes category if, at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the experience are not available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable	Two years. Note: The period of two years shall include successful completion of mandatory induction training of two weeks duration.	By direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government :- (a) holding analogous posts on regular basis; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- (1). Additional Director, All India Institute of Hygiene and Public Health, Kolkata- Chairman; (2). Professor or Chief Medical Officer (Non Functional Selection Grade) –Member; (3). Administrative Officer, All India Institute of Hygiene and Public Health, Kolkata- Member.	Not applicable.

[F. No. A. 60011/01/2017-ME]

PRADIP KUMAR PAL, Under Secy.

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय**(वाणिज्य विभाग)**

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2018

सा. का. नि. 387.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं वाणिज्य मंत्रालय, वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय में स्टाफ कार ड्राईवर समूह 'ग' पद के भर्ती नियम, 1987 की उन बातों के अलावा जिनको ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया जा चुका है अथवा किया जाना छोड़ दिया गया, के अधिक्रमण में महामहिम राष्ट्रपति एतद्वारा वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कोलकाता, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में स्टाफ कार ड्राईवर की भर्ती पद्धति को अधिनियमित कर निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामतः:

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ : (1) इन नियमों को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, कार्यालय वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, स्टाफ कार ड्राईवर (समूह 'ग' अराजपत्रित), भर्ती नियम 2018 कहा जाए।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स या वेतनमान में स्तर : पदों की संख्या इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स या वेतनमान में उनसे सम्बद्ध स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट होंगे।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि : उपर्युक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा उस पद से सम्बंधित अन्य बातें उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में विनिर्दिष्ट होंगी।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति

(अ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ब) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुये किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :- जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु चयन करने के दौरान आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :- इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयुसीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
स्टाफ कार ड्राईवर (सामान्य ग्रेड)	1* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर	सामान्य केन्द्रीय सेवा (वर्ग 'ग') अराजपत्रित गैर-अनुसूचित।	वेतन मैट्रिक्स रु.19,900- 63,200/- में स्तर - 2	लागू नहीं	18-25 वर्ष की आयु के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों हेतु आयु सीमा में 40 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है) टिप्पणी : आयु सीमा

					निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि भारत में उम्मीदवारों से आवेदनों की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि होगी (एवं असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का पंगी उपप्रभाग, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप-समूह या लक्ष्यद्वीप हेतु निर्धारित अंतिम तिथि नहीं)। *यदि सीधी भर्ती "प्रत्यक्ष खुली प्रतियोगिता परीक्षा" के द्वारा की जाती है तब आयु सीमा 18 से 27 वर्ष होगी।
--	--	--	--	--	--

सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती हेतु विनिर्दिष्ट आयु एवं शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नतों के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि हो	भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/ संभरण द्वारा एवं विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
(7)	(8)	(9)	(10)
<p>आवश्यक</p> <p>(i) मोटरकार का वैध ड्राइविंग लाईसेंस धारक होना चाहिए।</p> <p>(ii) मोटर मैकेनिज्म की जानकारी होनी चाहिए (उम्मीदवार को वाहन के छोटी-मोटी खराबियों को दूर करना आना चाहिए)</p> <p>(iii) कम से कम तीन वर्ष का मोटरकार चलाने का अनुभव होना चाहिए</p> <p>(iv) 10 वीं पास होना चाहिए।</p> <p>वांछनीय</p> <p>(1) होमगार्ड/सिविल वॉलंटियर के रूप में तीन वर्ष की सेवा।</p> <p>टिप्पणी 1 : अनुभव सम्बंधी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिलनीय है।</p>	लागू नहीं।	सीधी भर्ती अथवा पुनर्नियुक्तकों हेतु दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति/संभरण जिसके ना होने पर सीधी भर्ती द्वारा। सुरक्षा बल के कर्मिकों के लिये : प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियुक्ति।

<p>टिप्पणी 2 : सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिये आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>			
---	--	--	--

<p>पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति/संभरण द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/संभरण किया जाना है</p>	<p>यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है</p>	<p>परिस्थियां जिसमें भर्ती हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है</p>
(11)	(12)	(13)
<p>प्रतिनियुक्ति/संभरण</p> <p>वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय के वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 में मोटरकार चलाने का वैध लाईसेंस धारक नियमित डिस्पैच राईडर (समूह -ग) और समूह -ग कर्मचारियों में से मोटरकार चलाने की दक्षता का निर्धारण करने हेतु एक ड्राईविंग परीक्षण के आधार पर इसके न हो पाने पर केन्द्र सरकार के अन्य मंत्रालयों के कॉलम -7 में यथा उल्लिखित आवश्यक अर्हताओं को पूरा करने वाले वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 में नियमित डिस्पैच राईडर (समूह -ग) पदधारकों और नियमित समूह -ग कर्मचारियों में से।</p> <p>सुरक्षा बल के कार्मिकों हेतु प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियुक्ति :</p> <p>सेवानिवृत्ति के करीब अथवा एक वर्ष की अवधि के अंदर स्थानान्तरण के लिये आरक्षित एवं निर्धारित अनुभव तथा विनिर्दिष्ट अर्हताओं को पूरा करने वाले सुरक्षा बलों के कार्मिकों पर भी विचार किया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों को उनकी सुरक्षा बलों से कार्य मुक्ति की तारीख तक प्रतिनियुक्ति प्रदान की जायेगी; तत्पश्चात वे पुनर्नियुक्ति पर बने रहेंगे।</p> <p>टिप्पणी : केंद्रीय सरकार के उसी अथवा अन्य किसी संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख के यथानुरूप प्रतिनियुक्ति/संभरण द्वारा नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष होगी।</p>	<p>पुष्टिकरण मामलों पर विचार हेतु समूह -ग विभागीय पुष्टि समिति।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. महानिदेशक/विभागाध्यक्ष, वा.जा.सां.म.नि. - अध्यक्ष। 2. निदेशक/संयुक्त निदेशक, वा.जा.सां.म.नि. - सदस्य। 3. उप निदेशक (प्रशासन) वा.जा.सां.म.नि. - सदस्य। 4. किसी बाह्य कार्यालय के एक समुचित प्रस्थिति के अधिकारी - बाह्य सदस्य। 	<p>लागू नहीं।</p>

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)**

New Delhi, the 27th November, 2018

G.S.R. 387.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Commerce, Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics, Calcutta Staff Car Driver Recruitment Rules, 1987, except as respects things done or omitted to be done before such supersessions, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Staff Car Driver in the Office of the Director General of Commercial Intelligence and Statistics, Kolkata, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, Office of the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics, Staff Car Driver (Group 'C' Non- Gazetted post) Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix or pay scale.**—The number of post, its classification, and level in the pay matrix or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**— No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons while selecting an officer for appointment on deputation.

6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation to age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	No. of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Staff Car Driver (ordinary grade)	1 * (2018)	General Central Service (Group	Level – 2 in the pay matrix Rs.	Not applicable	Between 18 and 25 years

	*Subject to variation dependent on workload.	'C') Non-gazetted, Non-Ministerial	19,900-63,200/-		<p>(Relaxable for Govt. Servants upto 40 years in accordance with the instructions or Orders issued by the Central Government)</p> <p>Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep).</p> <p>*If direct recruitment is to be made by “direct open competitive Examination”, the age limit would 18-27 years.</p>
--	--	------------------------------------	-----------------	--	---

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Essential</p> <p>(i) Possession of a valid driving license for motor car;</p> <p>(ii) Knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor defects in vehicle),</p> <p>(iii) Experience of driving a motor car for at least 3 years;</p> <p>(iv) Pass in 10th standard.</p> <p>Desirable</p> <p>(1) 3 years service as Home Guard /Civil volunteers.</p> <p>Note 1:- The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority.</p> <p>Note 2:-In the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>	Not Applicable	Two years for direct recruits or reemployed	<p>Deputation/ Absorption failing which by direct recruitment.</p> <p>For Armed Forces personnel:</p> <p>Deputation/ re-employment</p>

In case of recruitment by Promotion /Deputation/Absorption, grades from which Promotion/ Deputation/Absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted to making recruitment
(11)	(12)	(13)
<p>Deputation/Absorption From amongst the regular Dispatch Rider (Group C) and Group C employees in Level 1 of pay Matrix in the Directorate General of Commercial Intelligence & Statistics who possess valid Driving Licence for Motor Cars on the basis of a Driving test to assess the competence to drive Motor cars failing which from officials holding the post of Dispatch Rider on regular basis or regular Group C employees in Level 1 of pay Matrix in other Ministries of the Central Government who fulfill the necessary qualifications as mentioned in column 7.</p> <p>Deputation/re-employment for Armed Forces Personnel : The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.</p> <p>Note: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation/ absorption shall be 'Not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications.</p>	<p>Group C Departmental Confirmation Committee for considering confirmation cases</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Director General/ Head of the Department, DGCI&S - Chairman 2. Director/Joint Director, DGCI&S – Member 3. Deputy Director (Administration), DGCI&S - Member. 4. An Officer of appropriate status of any other office – Outside Member 	<p>Not Applicable</p>

[F. No. 5 (1)/2012/Estt.-I]

SUBHAJIT ROY, Jt. Director/ Head of Office

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2018

सा.का.नि. 388.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल संसाधन मंत्रालय, केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला स्टाफ कार ड्राइवर, समूह 'ग' भर्ती नियम, 2011 को उन बातों के सिवाए अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला, नई दिल्ली में स्टाफ कार ड्राइवर के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला, नई दिल्ली, स्टाफ कार ड्राइवर, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2018 है
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **लागू होना:** ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।
3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
5. **निरर्हता-** वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
7. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी-I।	2* (2018)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (29200 /- रुपए) में स्तर-5	अचयन	लागू नहीं होता।

	* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।				
--	---	--	--	--	--

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाले रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर, श्रेणी-2 जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और निम्नलिखित पाठ्यक्रम पर आधारित व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण किया हो- (क) अंग्रेजी संख्याओं और अंकों को पढ़ने की समर्थता ; (ख) यातायात विनियमों का ज्ञान; (ग) पेट्रोल और डीजल इंजन के कार्यकरण का ज्ञान और छूट-पुट खराबियों का पता लगाने और दैनिक कमियों को ठीक करने की समर्थता ; (घ) कार्बुरेटर, प्लग आदि को साफ करने की समर्थता	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. वैज्ञानिक 'घ', केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला- अध्यक्ष 2. अवर सचिव, केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला – सदस्य 3. अवर सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय – सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी-II	2* (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग", अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (25500 /- रुपए) में स्तर-4	अचयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति

(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति: ऐसा स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी) जिसने उस श्रेणी में नियमित आधार पर आठ वर्ष सेवा की हो और निम्नलिखित पाठ्यक्रम पर आधारित व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण कर लिया हो-</p> <p>(क) अंग्रेजी संख्याओं और अंकों को पढ़ने की समर्थता ;</p> <p>(ख) यातायात विनियमों का ज्ञान;</p> <p>(ग) खराबियों का पता लगाने और छुट-पुट दैनिक कमियों को ठीक करने की समर्थता ;</p> <p>(घ) पहियों को बदलने और टायरों में ठीक हवा भरने की समर्थता</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <p>1. वैज्ञानिक 'घ', केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला- अध्यक्ष</p> <p>2. अवर सचिव, केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला – सदस्य</p> <p>3. अवर सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय –सदस्य</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<p>3. स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी)</p>	<p>3* (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।</p>	<p>साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय</p>	<p>वेतन मैट्रिक्स (19900/- रुपए) में स्तर-2</p>	<p>अचयन</p>	<p>18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।)</p> <p>टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के</p>

					<p>लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p> <p>टिप्पण:- रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।</p>
--	--	--	--	--	---

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>आवश्यक-</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य;</p> <p>(ii) मोटर कार चलाने के लिए विश्विमान्य अनुज्ञप्ति;</p> <p>(iii) मोटर यंत्र का ज्ञान;</p> <p>(iv) यान की छूट-पुट कमियों को दूर करने की समर्थता और</p> <p>(v) मोटर कार चलाने का तीन वर्ष का अनुभव हो।</p> <p>टिप्पण 1. अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2. अनुभव संबंधी अर्हताएं उनके लिए जो कारण है उसे लेखबद्ध करके, केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तथा</p>	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति/आमेलन, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन

<p>शिथिल की जा सकती है जब चयन की किसी प्रक्रम पर केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के प्रयाप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। वांछनीय- होमगार्ड के रूप में तीन वर्ष की सेवा की हो।</p>			
---	--	--	--

(11)	(12)	(13)
<p>प्रतिनियुक्ति/आमेलन: केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला के ऐसे नियमित प्रयोगशाला मददगार और बहुकार्य कर्मचारीगढ़ जिनके पास मोटर कार चलाने की सक्षमता का निर्धारण करने के लिए ली गई चालन परीक्षण के आधार पर चालन अनुज्ञप्ति है जिनके न हो सकने पर केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों के ऐसे नियमित सवार हरकारा या नियमित समूह 'ग' कर्मचारी जो स्तभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्दिष्ट अर्हताएं और अनुभव रखते हों</p> <p>भूतपूर्व सैनिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कर्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि की भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हों और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हों ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्बंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।</p> <p>टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी संगठन या विभाग से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होंगी।</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति जिसमे निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. वैज्ञानिक 'घ', केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला- अध्यक्ष 2. अवर सचिव, केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला – सदस्य 3. अवर सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय –सदस्य 	<p>लागू नहीं होता।</p>

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

New Delhi, the 28th November, 2018

G.S.R. 388.—In exercise of the power conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of Ministry of Water Resources, the Central Soil and Materials Research Station, Staff Car Drivers, Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the methods of recruitment to the posts of Staff Car Drivers in the Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Central Soil and Materials Research Station, New Delhi, namely:-

- 1. Short title and commencement.** — (1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Central Soil and Materials Research Station, New Delhi, Staff Car Drivers, Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2018.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
- 2. Application.** — These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Number of posts, classification and level in pay matrix.** — The number of said posts, their classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.
- 4. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.** — The method of recruitment to said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- 5. Disqualification.**— No person , -
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 6. Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 7. Saving.** – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex- servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Staff Car Driver Grade- I	2* (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 5 (Rs. 29200/-) in the pay matrix	Non- selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption is to be made
(10)	(11)
Promotion	<p>Promotion:</p> <p>Staff Car Driver Grade- II with five years regular service in the grade who shall have to pass the Trade Test based on the following syllabus:-</p> <p>(a) able to read English numerals and figures;</p> <p>(b) knowledge of traffic regulation;</p> <p>(c) knowledge of petrol and diesel engine working and able to locate faults and rectify minor running defects;</p> <p>(d) able to clear carburetor, plug, etc.</p>

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:—</p> <p>1. Scientist 'D', Central Soil and Materials Research Station, New Delhi — Chairman;</p> <p>2. Under Secretary, Central Soil and Materials Research Station, New Delhi — Member;</p> <p>3. Under Secretary, Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation — Member.</p>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Staff Car Driver Grade- II.	2* (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 4 (Rs.25500/-) in the pay matrix.	Non- selection	Not applicable.

(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
Promotion	<p>Promotion:-</p> <p>Staff Car Driver (Ordinary Grade) with eight years regular service in the grade who shall have to pass the Trade Test based on the following syllabus:-</p>

	<p>(a) able to read English numerals and figures;</p> <p>(b) knowledge of traffic regulation;</p> <p>(c) able to locate faults and rectify minor running defects;</p> <p>(d) able to change wheels and correctly inflate tyres.</p>
--	---

(12)	(13)
<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:—</p> <p>1. Scientist 'D', Central Soil and Materials Research Station, New Delhi — Chairman;</p> <p>2. Under Secretary, Central Soil and Materials Research Station, New Delhi — Member;</p> <p>3. Under Secretary, Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation — Member.</p>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Staff Car Driver (Ordinary Grade).	3* (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 2 (Rs. 19900/-) in the pay matrix.	Not applicable	<p>Between 18 to 27 years</p> <p>(Relaxable for Government servants upto the age of forty years in the case of general candidates and up to forty five-years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government, from time to time).</p> <p>Note1. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu</p>

					<p>& Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p> <p>Note 2. In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.</p>
--	--	--	--	--	--

(7)	(8)	(9)
<p>Essential:</p> <p>(i) Matriculation from a recognised Board or equivalent;</p> <p>(ii) driving license for Motor Car;</p> <p>(iii) knowledge of Motor Mechanism;</p> <p>(iv) able to remove minor-defects in vehicle; and</p> <p>(vi) three years experience of driving a Motor Car.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government, for reason to be recorded in writing, in case the candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p> <p>Desirable:</p> <p>Three years' service as Home Guard.</p>	Not applicable	Two years

(10)	(11)
Deputation/absorption failing which by direct recruitment.	<p>Deputation/absorption:</p> <p>Regular Laboratory Helper and Multi-Tasking Staff in the Central Soil and Materials Research Station who possess Driving License for Motor Car on the basis of a Driving Test to assess the</p>

<p>For Ex-servicemen Deputation/re-employment.</p>	<p>competence to drive Motor Cars failing which from Dispatch Rider on regular basis or regular Group 'C' employees in other Ministries of the Central Government possessing the qualification and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p>For Ex-servicemen:</p> <p>Deputation/re-employment:</p> <p>The armed forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered and such persons shall be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the armed forces, and thereafter they may be continued on re-employment.</p> <p>Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.</p>
---	--

(12)	(13)
<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:—</p> <p>1. Scientist 'D', Central Soil and Materials Research Station, New Delhi — Chairman;</p> <p>2. Under Secretary, Central Soil and Materials Research Station, New Delhi — Member;</p> <p>3. Under Secretary, Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation — Member.</p>	Not applicable.

[F. No. A-12018/1/2018- E-II]

RATNAKAR YADAV, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 नवम्बर , 2018

सा.का.नि. 389.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल संसाधन मंत्रालय, केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला, ड्रिलर और सहायक ड्रिलर समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2010 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला, नई दिल्ली में ड्रिलर और सहायक ड्रिलर के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला, नई दिल्ली, ड्रिलर और सहायक ड्रिलर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2018 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना: ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. ड्रिलर	4* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग", अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-5 (29200-92300 रू.)	चयन	18 और 27 वर्ष के बीच (ऊपरी आयु-सीमा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पणः 1 आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश,

					<p>मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p> <p>टिपण्यः2 रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।</p>
--	--	--	--	--	--

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाले रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
<p>आवश्यक</p> <p>(i). किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय सहित मैट्रिकुलेशन और जिसमें गणित एक विषय के रूप में हो</p> <p>(ii). फिटर या मोटर मैकेनिक या मशीन मिस्त्री या डीजल मैकेनिक की ट्रेड में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाणपत्र</p>	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

<p>(iii). विभिन्न प्रकार के ड्रिल मशीनों पर ड्रिल कार्य करने का तीन वर्ष का अनुभव</p> <p>(iv). हीरक बेधक उपस्कर के प्रचालन में सामर्थ्य और</p> <p>(v). इंजन, पंप और ड्रिल मशीन के प्रेषण भागों की छोटी-छोटी मरम्मत करने में समर्थ हो</p> <p>टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं</p> <p>टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर केंद्रीय सरकार की सहाय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>			
--	--	--	--

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति: ऐसा सहायक ड्रिलर जिसने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p>टिप्पण - जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> वैज्ञानिक 'घ', केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला - अध्यक्ष अवर सचिव, केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला - सदस्य अवर सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय -सदस्य 	<p>लागू नहीं होता।</p>

कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. सहायक ट्रिलर	4* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग", अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-4 (25500-81100 रु.)	लागू नहीं होता	18 और 27 वर्ष के बीच (ऊपरी आयु-सीमा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक (i). किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय सहित मैट्रिकुलेशन और जिसमें गणित एक विषय के रूप में हो (ii). फिटर या मोटर मैकेनिक या मशीन मिस्ट्री या डीजल मैकेनिक की ट्रेड में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाणपत्र वांछनीय : (i). विभिन्न प्रकार के ड्रिल मशीनों पर ड्रिल कार्य करने का तीन	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

<p>वर्ष का अनुभव और हीरक बेधन उपस्कर के प्रचालन में सामर्थ्य हो और</p> <p>(ii). इंजन, पंप और ड्रिल मशीन के प्रेषण भागों की छोटी-छोटी मरम्मत करने में समर्थ हो</p> <p>टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है</p> <p>टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>			
--	--	--	--

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	<p>समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. वैज्ञानिक 'घ', केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला - अध्यक्ष 2. अवर सचिव, केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला - सदस्य 3. अवर सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय -सदस्य 	लागू नहीं होता।

[फा.सं. ए-12018/3/2018- स्था.- II]

रत्नाकर यादव, अवर सचिव

New Delhi, the 28th November, 2018

G.S.R. 389.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Water Resources, the Central Soil and Materials Research Station Driller and Assistant Driller Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2010, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Driller and Assistant Driller in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Soil and Materials Research Station, New Delhi, namely:—

1. Short title and commencement. —(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Soil and Materials Research Station, New Delhi, Driller and Assistant Driller (Group 'C' Posts), Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Application. — These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in the pay matrix. — The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. — The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification.— No person, —

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax. — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving. — Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex- servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Driller.	4*(2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-5 (Rs.29200—92300)	Selection	Between 18 and 27 years. (The upper age-limit is relaxable for departmental candidates up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-

					<p>division of Chamba District of Himachal Pradesh, union territory of Andaman and Nicobar Islands or union territory of Lakshadweep.</p> <p>Note 2: In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.</p>
--	--	--	--	--	--

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any.	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various method
(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Essential :</p> <p>(i) Matriculation with Science and Mathematics as one of the subjects from a recognised Board;</p> <p>(ii) Industrial Training Institute certificate in the trades of Fitter or Motor Mechanic or Machinist or Diesel Mechanic;</p> <p>(iii) Three years experience in drilling work with different types of drill Machines;</p> <p>(iv) ability to operate diamond drilling equipment; and</p> <p>(v) ability for minor repairs of engine, pump and transmission side of the drilling machine.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if any at any stage of selection, the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.</p>	No	Two years for direct recruits.	Promotion failing which by direct recruitment

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption is to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
<p>Promotion: Assistant Driller with five years of regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.</p> <p>Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of:—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Scientist 'D', Central Soil and Materials Research Station – Chairman; 2. Under Secretary, Central Soil and Materials Research Station –Member; 3. Under Secretary, Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation - Member. 	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Assistant Driller.	4*(2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-4 (Rs.25500—81100).	Not applicable.	<p>Between 18 and 27 years.</p> <p>(The upper age-limit is relaxable for departmental candidates up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)</p> <p>Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, union territory of Andaman and Nicobar Islands or union territory of Lakshadweep.</p> <p>Note 2: In the case of recruitment made through the Employment</p>

					Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.
--	--	--	--	--	---

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<p>Essential:</p> <p>(ii) Matriculation with Science and Mathematics as one of the subjects from a recognised Board;</p> <p>(iii) Industrial Training Institute certificate in the trades of Fitter of Motor Mechanic or Mechanist or Diesel Mechanic.</p> <p>Desirable:</p> <p>(iv) Three years experience in drilling work with different types of drill machine and should be able to operate diamond drilling equipment; and</p> <p>(ii) to attend minor repairs of engine, pump and transmission side of the drilling machine.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in case the candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of Candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.</p>	Not applicable	Two Years	By direct recruitment	Not applicable

(12)	(13)
<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:—</p> <p>1. Scientist 'D', Central Soil and Materials Research Station – Chairman;</p> <p>2. Under Secretary, Central Soil and Materials Research Station – Member;</p> <p>3. Under Secretary, Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation — Member.</p>	Not applicable.

[F.No. A-12018/3/2018-E-II]
RATNAKAR YADAV, Under Secy.

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2018

सा.का.नि. 390.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रधान निजी सचिव के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.** — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रधान निजी सचिव, समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2018 है
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.** — पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं आदि.** — भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता.** — वह व्यक्ति, —
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति जीवित है, विवाह किया है, या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां व उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में, समय—समय पर जारी किए गए, आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु—सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रधान निजी सचिव	10* (2018) * प्रादेशिक कार्यालयों में अवस्थित कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है :- बैंगलौर-01; भुवनेश्वर-01; भोपाल -01; चंडीगढ़-01; चेन्नई -01; देहरादून -01; लखनऊ-01; नागपुर -01; रांची -01; शिलांग-01.	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11, रु.67,700- 2,08,700/-.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति —सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	सम्मिश्र पद्धति द्वारा: प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्प-कालिक संविदा भी है) और प्रोन्नति

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में वह ग्रेड जिससे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाना है	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति गठित है तो उसका संघटन	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
(11)	(12)	(13)
<p>सम्मिश्र पद्धति: प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्प-कालिक संविदा भी है) और प्रोन्नति</p> <p>केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्यक्षेत्र अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान अथवा विश्वविद्यालय अथवा पब्लिक सेक्टरों अथवा अर्ध-सरकारी अथवा कानूनी अथवा स्वायत्त संगठन के अंतर्गत अधिकारी:</p> <p>(i) जो मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हो, अथवा</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग या समकक्ष में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8, रु 47600-151100/-, में छः वर्ष नियमित सेवा की हो, अथवा</p> <p>(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग या समकक्ष में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7, रु 44900-142400/-, में सात वर्ष नियमित सेवा की हो, अथवा</p> <p>टिप्पण-1. — संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में सात वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7, रु. 44900-142400/-, में विभागीय निजी सचिव का पद धारण करने वाले के साथ बाहरी लोगों हेतु विचार किया जाएगा, और यदि पद के लिए उसका चयन होता है, वह प्रोन्नति द्वारा नियुक्त माना जाएगा।</p> <p>टिप्पण-2. पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का पात्र नहीं होगा।</p>	<p>समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अपर वन महानिदेशक (वन संरक्षण), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली — अध्यक्ष; 2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केंद्रीय) संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय — सदस्य; 3. निदेशक या उपसचिव, क्षेत्रीय कार्यालय (मुख्यालय), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली — सदस्य. 	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

<p>टिप्पण-3. — प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्प-कालिक संविदा भी है) की अवधि, केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्प-कालिक संविदा भी है) की अवधि सहित साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण-4. प्रतिनियुक्त (जिसके अन्तर्गत अल्प-कालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
---	--	--

[फा. सं. 6-12/2014-आरओएचक्यू]
राजीव जौहरी, अवर सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

New Delhi, the 30th November, 2018

G.S.R. 390.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Principal Private Secretary in the Regional Offices of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, namely: -

1. **Short-title and commencement.** - (1) These rules may be called the Regional Offices of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Principal Private Secretary, Group 'A' post Recruitment Rules, 2018.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Number of post, classification and level in pay matrix.** - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.** - The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in the columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
4. **Disqualification.** - No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
 shall be eligible for appointment to any of the said post:
 Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
5. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backwards Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Principal Private Secretary.	10* (2018) *Subject to variation dependent on workload in Regional Offices located at- *Bangalore-01; *Bhubaneswar-01; *Bhopal-01; *Chandigarh-01; *Chennai-01; *Dehradun-01; *Lucknow-01; *Nagpur-01; *Ranchi-01; *Shillong-01.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial.	Level-11, Rs. 67,700-2,08,700/-.	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years for promotees	By composite method [Deputation (including short-term contract) plus promotion]

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Composite method [Deputation (including short-term contract) plus promotion]: Officers holding the post of Stenographer under the Central Government or State Governments or Union territories or Public Sector Undertakings or Recognised Research Institutions or Universities or Statutory or Autonomous Organisations, - (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or	Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1. Additional Director General of Forests (Forest Conservation), Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi-Chairman; 2. Additional Principal Chief Conservator of Forests (Central) of concerned Regional Office-Member;	Consultation with Union Public Service Commission necessary.

<p>Department; or</p> <p>(ii) with six years regular service in level-8, Rs. 47600-151100/- in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; or</p> <p>(iii) with seven years regular service in level-7, Rs. 44900-142400/- in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department.</p> <p>Note 1. - The Departmental Private Secretary in level 7 in the pay matrix (Rs. 44,900/- 1,42,400/-) in the concerned Regional Office with seven years regular service shall be considered along-with outsiders and if the Departmental candidate is selected for appointment to the post, it shall be treated as having been filled by promotion.</p> <p>Note 2. - The Departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation, and similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 3. - Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.</p> <p>Note 4. - The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>	<p>3. Director or Deputy Secretary, Regional Office (Head Quarters), Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi - Member.</p>	
--	--	--

[F. No. 6-12/2014-ROHQ]

RAJEEV JAUHARI, Under Secy.